2018/01134

राजस्व लोक अदालत केम्प आकडली तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस मुकदमा न0 87 / 2018

वादी :— 1 दानाराम पुत्र खैमाराम जाति जाट निवासी रूपादेवी तहसील पचपदरा
जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :— 1. मूलाराम 2. ठाकराराम 3. जगदीश पुत्र अचलाराम 4. मीरो देवी
5. नवीनकला पुत्रीया अचलाराम 6. जेती देवी पत्नि अचलाराम
निवासी रूपादेवी

88 आर.टी.ए <u>दावा बाबत घोषणा</u>

निर्णय दिनांकः—31.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत आकडली प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम रूपादेवी के विवादित ख0न0 223 रकबा 180 बीघा मे वादी द्वारा प्रतिवादीगण 1 से 6 के पिता द्वारा जिनका इस भूमि में 1/4 हिस्सा में से 22 बीघा 10 विस्वा भूमि वादी को बक्षीस की गयी उक्त बक्षीस उप पजींयन कार्यालय जसोल में पंजीयन संख्या 201703131101001 दिनांक 2.05.2017 कर पजीबद्व किया गया । वादी द्वारा जानकारी न होने के कारण समय पर इसका नामान्तरकरण नहीं करवाया गया इसी दौरान बक्षीसकर्ता संख्या —1 की मृत्यु हो गयी एवं उक्त अराजी में सम्पूर्ण भूमि में उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 292 भरा गया जिसे न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प में दिनांक 3.05.2018 को मजमे आम में स्वीकार किया गया। इस प्रकार वादीगण का बक्षीस का नामान्तरकरण भरे विना अचलाराम की सम्पूर्ण भूमि हक हिस्सा 1/4 में प्रतिवादीगण 1 ता 6 दर्ज हो गया जो कि गलत है। सर्वप्रथमम वादी द्वारा बक्षीस के रूप में प्राप्त भूमि का नामान्तरकरण होना चाहिए तदोपरान्त शेष भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नामान्तरकरण होना चाहिए ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....आकडली

Scanned by CamScanner

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी द्वारा पेश प्रस्तुत वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज, बक्षीसनामा, नामान्तरकरण संख्या 292 की प्रति, ग्राम रूपादेवी के खसरा संख्या 223, खाता संख्या 04, जमाबंदी संवत 2072–75 व प्रतिवादी संख्या 1 के ब्यान, इसी खाता के सहखातेदार का अवलोकन व अध्ययन किया गया । प्रतिवादीगण संख्या – 1 से 6 उपस्थित होकर वादी के हक हिस्से में नाम दर्ज कराने में सहमति दर्ज की इसी प्रकार इसी खाते के सहखातेदार रहीगाराम जिसने भी वादी को उक्त बक्षीसनामा में 5 बीघा 10 विस्वा भूमि बक्षीस की है, मे वादी की बक्षीस में प्राप्त भूमि में नाम दर्ज करने में सहमति जाहिर की गयी।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 292 निरस्त किया जाता है एवं पंजीकृत बक्षीसनामा संख्या 20131101001 दिनांक 2.05.2017 अनुसार ग्राम रूपादेवी के खसरा न0 223 रकबा 180 बीघा मृतक अचलाराम की भूमि में 22.10 बीघा व सहखातेदार रहिंगाराम की भूमि में 5.10 कुल 28 बीघा में वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। मृतक खातेदार की शेष भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का नाम दर्ज किया जाएं। तहसीलदार पचपदरा को इसी अुनसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे । इसी आशय की डिकी जारी की जावें।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...

Scanned by CamScanner